न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00487

1. गोबरी लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. धूली बाई पत्नी गोबरी लाल ।
   1/2. ममता पुत्री गोबरी लाल ।
   1/3. मिनाक्षी पुत्री गोबरी लाल ।
   1/4. मधुबाला पुत्री गोबरी लाल ।
   1/5. महेन्द्र प्रताप आत्मज श्री गोबरी लाल बोरखेडा, कोटा ।
2. कल्याणी पुत्री धन्ना लाल पत्नी कजोड जाति धाकड निवासी तारज तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. शांति बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नी कजोड जाति धाकड निवासी सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लेखराज आत्मज स्वर्गीय बजरंगलाल ।
2. रामावतार आत्मज गणपत लाल ।
3. मुकेश आत्मज गणपत लाल ।
4. सुनीता पुत्री गणपत लाल जाति धाकड निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. कांति बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी मूलचन्द जाति धाकड निवासी बोथ तहसील मांगरोल जिला बारां ।
6. नन्द कंवरी बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी धन्ना लाल जाति धाकड निवासी चोपडखेडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 785 रकबा 0.28 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के दादा व प्रतिवादी क्रम 5–6 के पिता नाथूलाल के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व नाथूलाल का 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है । सहखातेदार नाथूलाल का देहावसान हो गया । नाथूलाल जी के दो पुत्र बजरंग लाल व गणपत लाल व दो पुत्रियॉ प्रतिवादी क्रम 5 व 6 हुए । पुत्र बजरंग लाल व गणपत लाल का भी देहावसान हो गया जिसके प्रतिवादी क्रम 1 से 4 वारिसान व उत्तराधिकारी हैं । उक्त भूमि शामलाती रूप से वादीगण व स्व0 नाथूलाल के खाते में दर्ज चली आ रही है । वादीगण स्वयं अपने हिस्से की भूमि को हांकने गये तो प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त भूमि को नहीं हांकने दिया तथा झगडा किया और बिना विभाजन कराये ही भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा हैं । प्रतिवादी क्रम 01 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादीगण को उनके 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि को वादीगण के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि को वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 के द्वारा खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वाश पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए जहॉ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थिति की कहकर उनके हस्ताक्षर करवाये गये । अपीलान्ट से न तो किसी प्रकार से पूछताछ की गई और न ही कोई जानकारी प्रदान की । हस्ताक्षर करने के बाद बताया कि कुछ समय बाद जाकर वकील साहब से सम्पर्क कर लेना वह आपको आगामी तारीख पेशी बता देंगे जिस पर अपीलान्ट निश्चिन्त हो गये तथा दिनांक 09.07.2018 को वकील साहब से मिलने पर वकील साहब के साथ न्यायालय में उपस्थित होने पर जानकारी हुई कि त्रुटिपूर्ण रूप से सहमति लिखकर दावा अपीलान्ट खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट द्वारा कभी कोई आराजी रेस्पोडेन्ट को बेचान नहीं की है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है । अपीलान्ट ने सहमति के हस्ताक्षर नहीं किये थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया है । अपीलान्ट दिनांक 05.06.2018 को कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए थे । अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये थे । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है। लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दावा पेश किया था जबकि पूर्व में सहमति के आधार पर विभाजन हो चुका है । पुनः नया दावा लाने से अपीलान्टगण एस्टोप्ड हैं । वादी लोक अदालत में उपस्थित हुए हैं, मजमेआम में वादी क्रम 2 व 3 ने यह कथन किया था कि वादीगण पूर्व में अपने हिस्से की भूमि का बेचान अन्य भूमि में से कर चुके हैं । स्टाम्प भी तत्समय लिखे गये थे जिसके अनुसार बेचान से बची हुई आराजी में उनका कोई हिस्सा नहीं बनता है । वादीगण ने सहमति व्यक्त की थी कि अब वो इस आराजी में से कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण गोबरी लाल, कल्याणी और शांति बाई ने विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । लोक अदालत में वादीगण में से कल्याणी और शांतिबाई की उपस्थिति दर्ज की गई है परन्तु गोबरी लाल की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है । प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी क्रम 01 लेखराज, प्रतिवादी क्रम 02 रामावतार एवं प्रतिवादी क्रम 03 मुकेश की उपस्थिति दर्ज की गई है । शेष प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है । पक्षकारान ने कोई लिखित राजीनामा पेश नहीं किया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा खारिज किया है । तथाकथित स्टाम्प की जो फोटो प्रति पत्रावली पर संलग्न है वो 10/– रूपये के स्टाम्प पर है जो न तो पंजीकृत है और न ही पूर्ण मुद्रांकित है । इस तहरीर के आधार पर अचल सम्पत्ति में स्वत्व का अन्तरण नहीं हो सकता है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण हो सकता है जिसमें उभयपक्ष के समस्त पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें इसके अभाव में सीपीसी की पालना में जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा